

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 136

रिपोर्ट पटवारी यु.ए.डी. तहसील बारापाल जिला उदयपुर

"ग्रामीण सेवा शिविर"

श्रीमान् भू-अभिलेख महोदय जी,

भू अभिलेख वृत्त यु.ए.डी.

विषय :- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती करने बाबत।

महोदय जी,  
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अनुसार ग्राम जवा की खाता संख्या 49, 54, 55 प्रार्थी का नाम होगी दर्ज है, जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दस्तावेजों में सही नाम होगी दर्ज है। खाते में दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत/अप्रबन्ध है। अतः ग्राम जवा की खाता संख्या 49, 54, 55 में दर्ज नाम होगी के स्थान पर सही इन्द्राज होगी दर्ज किया जाना उचित है।

यु.ए.डी.  
09/10/2025

भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त यु.ए.डी. तहसील बारापाल जिला उदयपुर

श्रीमान् तहसीलदार महोदय जी,

तहसील बारापाल

विषय :- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती करने बाबत।

महोदय जी,  
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पटवारी हल्का की रियार्ड, संलग्न दस्तावेज एवं मवाही के अनुसार ग्राम जवा की जमाबन्दी की खाता संख्या 49, 54, 55 में दर्ज नाम होगी के स्थान पर सही नाम होगी दर्ज किया जाना उचित है।

यु.ए.डी.  
09/10/2025

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) बारापाल जिला उदयपुर

दिनांक 09/10/2025

क्रमिक संख्या

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय जी,

उपखण्ड गिर्वा

विषय :- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती करने बाबत।

महोदय जी,  
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना एवं पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान भू अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत ग्राम जवा की जमाबन्दी की खाता संख्या 49, 54, 55 में दर्ज नाम/इन्द्राज होगी के स्थान पर सही नाम/इन्द्राज होगी दर्ज करने की अनुमति की जाती है।

यु.ए.डी.  
तहसीलदार  
बारापाल, जिला-उदयपुर (भज.)